न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या 181/2017

मरिया बीबी पत्नि हुसैन खां जाति मुसलमान आयु 51 वर्ष नि.ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
प्रार्थीया

बनाम

हुसैन खां पुत्र जवाय खां जाति मुसलमान नि.ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना–पत्र के सक्षिप्त तथ्य प्रकार से है कि प्रार्थीया अप्रार्ज्ञी की पत्नि है। प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य वैचारिक विवाद हो जाने पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें अप्रार्थ्म ने पंचायत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और मांफी मांगी और हल्फानामा इस बाबत लिखकर प्रार्थीया को सौपा जिसमें अप्रार्थी ने अपने नाम दर्ज 19 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ तहसील के खाता संख्या 93/32 में अपने भाई कासम अली के साथ संयुक्त खाता में 2.151 हैक्टेयर कृषि भूमि से से 2 बीघा कृषि भूमि जो पत्थर नम्बर 1160/248 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 5 व 6 एक मुश्त भरण पोषण बाबत प्रार्थीया को सौप दी जिस बाबत दिनांक 18.07.2005 को रूबरू गवाहान एक राजीनामा भी लिखवाया गया जिसमें भी अप्रार्थी द्वारा चक 19 एफटीपी की 2 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीया को देने के कथन किये और उसी रोज कब्जा भी उक्त 2 बीघा भूमि का प्रार्थीया को रूबरू गवाहन सौप दिया था उसी रोज से प्रार्थीया ही उक्त दो बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी जो कि प्रार्थीया का पति है ने गत वर्ष प्रार्थीया से सम्पर्क कर उसके हक व हिस्सा की राजीनामा में प्राप्त हुई 2 बीघा कृषि भूमि जिसकी तफसील दफा 2 प्रार्थना पत्र में अंकित है को ठेका पर काश्त करने का निवेदन किया तो प्रार्थीया ने अपार्थी को सहमति दे दी लेकिन अप्रार्थी द्वारा अपने निजी स्वार्थो के वशीभूति होकर प्रार्थीया को ठेका राशि आज दिनांक तक अदा नही की गई है, जिसे प्राप्त करने की प्रार्थीया अधिकारिणी है। प्रार्थीया को अप्रार्थी द्वारा एकमुश्त भरण पोषण बाबत चक 19 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 93/32 के पत्थर नम्बर 160/248 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 5 व 6 दी थी जो कि आज भी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि को अपने नाम राजसव रिकार्ड में दर्ज होने का लाभ उठाकर अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करने की धमकी दे रहा है।यदि अप्रार्थी अपने इस अवैध मकसद में कामयाब हो जाता तो प्रार्थीया को अपरिमेय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थी इस आश्य की अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित प्रार्थीया को प्राप्त कृषि भूमि को अप्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन का लाभ उठाकर अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेद्व रहे व प्रार्थीया को प्राप्त 2

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

भूमि को काश्त करने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने से निषेद्व रहे। प्रथम
या मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई व्यादेश विरूद्व
प्रार्थी इस आश्य का जारी फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित कृषि भूमि चक
9 एफटीपी पटवार हल्का शेरगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 93/32 के पत्थर नम्बर
1160/248 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 5 व 6 को अप्रार्थी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में
अंकन का लाभ उठाकर अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेद्व रहे व
प्रार्थीया को प्राप्त 2 बीघा भूमि को काश्त करने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी
करने से निषेद्व रहे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। तथा प्रार्थीया को दिनांक 06.07.2017 को वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी आगामी आदेश तक रहन बैय करने से निषेध रहे का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड एडी से तलबी करवाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है असत्य अविधिक व मनघढत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी/दावेदार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए पर बहस समाहित की गई।

वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने मुताबिक अनुबंध पत्र (राजीनामा) दिनांक 18.07.2005 को लिखकर व नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रार्थीया को चक 19 एफटीपी में 0.506 हैक्टर भूमि भरण–पोषण के रूप में दी गई है, जिसकी पुष्टि फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत राजीनामा की फोटोप्रति से हो रही है, अप्रार्थी हुसैन खां के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से प्रार्थीया को मुताबिक अनुबंध पत्र (राजीनामा) दिनांक 18.07.2005 के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं हो जाती तब तक वादग्रस्त भूमि को रहन बैय व खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीया के कब्जाकाश्त में दखल अंदाजी करने से निषेद्य रहे।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि से शासित होते है और मुस्लिम विधि में जन्मतः हक व हिस्सा होने की कोई विधि नही है और न ही मुस्लिम विधि में विरास्तन सम्पति का कोई महत्व है। जिस व्यक्ति के नाम भूमि होती है वह उसका अकेला स्वामी होता है। लेकिन प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में कोई कब्जा काश्त नही है और ना ही अनुबंध पत्र (राजीमाना) रजिस्टर्ड है। उक्त वादगत आराजी बाबत प्रार्थीया गलत तथ्य प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावाली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि न्याय सुस्थापित तीनो बिन्दु 1 प्रथम दृष्ट्या मामला 2 सुविधा का सन्तुलन 3 अपूर्णीयक्षति पर विचारण किया गया।

यह स्वीकार तथ्य है कि अप्रार्थी सं. 01 हुसैन खां के नाम संगरिया तहसील के चक नं. 19 एफटीपी के खाता सं. 93/32 जिसकी जमाबंदी सं. 2069–72 में हुसनखां वगैरा के खाता में अप्रार्थी सं. 1 हुसैन खा के नाम कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चूंकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के द्वारा स्वंय भूमि मे से चक 19 एफटीपी के प.न. 160/248 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर भूमि प्रार्थिया को नोटेरी स्टाम्प पर पूर्व में भरण–पोषण बाबत दी गई है जिसकी पुष्टि राजीनामा दिनांक 18.07.2005 की फोटोप्रति ये साबित होता है कि उक्त भूमि प्रार्थिया के कब्जा काश्त में है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में साबित होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2017 ताफैसला दावा इस आशय की कन्फर्म की जाती है कि उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि चक 19 एफटीपी प.न. प.न. 160/248 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज आराजी को रहन बैय व खुर्द बुर्द करने व एक दूसरे के कब्जाकाश्त में दखल अंदाजी करने से निषेद्य रहे।

फैसला आज दिनांक 15.2.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया